थाना चांदो, अंतर्गत ग्राम नवाडीह चेड़रानाला के पास, जिला बलरामपुर में हुए पुलिस मुठभेड़ में कु0 मीना खलखो की मृत्यु का न्यायिक जांच प्रतिवेदन

प्रतिवेदित द्वारा–

श्रीमती अनिता झा
एकल सदस्य,
कु0मीना खलखो, जांच आयोग

जांच प्रतिवेदन

एकल सदस्य, मीना खलखो जांच आयोग, मुख्यालय अम्बिकापुर, छ0ग0शासन की अधिसूचना कमांक– एफ–3–6/2011/1–7, दिनांक 29/08/2011 के द्वारा ग्राम नवाडीह चेड़रा नाला, अंतर्गत थाना चांदो के किनारे कु0 मीना खलखो की दिनांक 05/07/2011 एवं 06/07/2011 की दरमियानी रात में पुलिस मुठभेड़ में होने वाली मृत्यु की जांच हेतु गठित किया गया।

2– उक्त घटना के संदर्भ में गठित एकल सदस्य जांच आयोग के समक्ष राज्य शासन के द्वारा ग्राम नवाडीह चेड़रा नाला अंतर्गत थाना चांदो में दिनांक 06/07/2011 को घटित घटना के संदर्भ में गठित एकल सदस्य, जांच आयोग के समक्ष राज्य शासन के द्वारा निम्नलिखित बिन्दु **(Points of reference)** जांच हेतु प्रस्तुत किये गये है :–

1– दिनांक 06/07/2011 थाना चांदों, अंतर्गत ग्राम नवाडीह, चेड़रा नाला के किनारे हुई पुलिस मुठभेड़ में कु0 मीना खलखो की मृत्यु कैसे हुई ।

2– वे परिस्थितियां तथा कारण जिसके फलस्वरूप घटना घटित हुई।

3– उक्त घटना में किन–किन व्यक्तियों की मृत्यु हुई या घायल हुए।

4– ग्राम नवाडीह चेड़रा नाला के किनारे मुठभेड़ में नक्सली कमाण्डर के साथ कुमारी मीना खलखो एवं अन्य 30–35 नक्सलियों के शामिल होने की कथन कहां तक प्रमाणित है।

5— यदि पुलिस/प्रशासन की ओर से त्रुटि या उपेक्षा हुई तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है।

6— भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु क्या उपाय हैं।

3— एकल सदस्य, जांच आयोग के समक्ष मृतिका कु0 मीना खलखो के माता–पिता व अन्य ग्रामवासियों के द्वारा यह पक्ष रखा गया है कि मृतिका मीना खलखो नक्सली गतिविधियों में संलग्न नहीं थी, पुलिस के द्वारा मृतिका के साथ बलात्कार करने के बाद गोली मारकर हत्या की गई है।

4— पुलिस द्वारा यह पक्ष रखा गया कि थाना चांदो, पुलिस जिला बलरामपुर नक्सली गतिविधियों से प्रभावित क्षेत्र है। दिनांक 06/07/2011 को मुखबिर की सूचना इस संबंध में प्राप्त हुई कि झारखण्ड से नक्सली कमाण्डर वीरसाय 30–35 नक्सलियों के साथ थाना चांदो क्षेत्र में प्रवेश कर गया है और किसी गंभीर घटना को अंजाम देने की संभावना है। उक्त सूचना के आधार पर रात्रि 10.30 बजे थाना प्रभारी चांदो अन्य 24 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ सर्चिंग में रवाना हुए तथा ग्राम नवाडीह में रात्रि सर्चिंग के दौरान नक्सलियों के द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई, जिसके प्रतिउत्तर में पुलिस द्वारा नक्सलियों को आत्मसमर्पण के लिए कहा गया। नक्सलियों के द्वारा गोली–बारी जारी रखे जाने के कारण पुलिस की ओर से भी जवाबी फायरिंग की गई और उक्त पुलिस मुठभेड़ में मृतिका कु0 मीना खलखो घायल हुई तथा अस्पताल पहुंचने पर उसे मृत घोषित किया गया। पुलिस के अनुसार मृतिका मीना खलखो नक्सली गतिविधियों में संलग्न थी।

बिन्दुवार विवेचना

बिन्दु कमांक 1 से 4 : –

5– उपरोक्त चारों ही विचारणीय बिन्दु **(Points of reference)** घटना घटित होने की परिस्थितियों से सबंधित है। अतः, तत्संबंध में आयोग के समक्ष प्रस्तुत साक्षियों की साक्ष्य (ग्रामवासियों एवं पुलिस) साक्षियों की समीक्षा एक साथ की जा रही है:–

6– जांच साक्षी कमांक –1 बुधेश्वर खलखो (मृतिका के पिता) जांच साक्षी कमांक– 2 गोतियारी (मृतिका की मां) का कथन है कि उनकी पुत्री मृतिका मीना खलखो किसी भी नक्सली गतिविधि में संलग्न नहीं थी। मृतिका के द्वारा पांचवी कक्षा तक शिक्षा ग्रहण की गई तत्पश्चात् घटना के दो वर्ष पूर्व से वह घरेलू कार्य में सहयोग करती रही है। घटना दिनांक को मृतिका 12.00 बजे बकरियां चराने के लिए गई थी और 4.00 बजे संध्या वापस आई थी। माता–पिता का कथन यह है कि घटना दिनांक को शाम 4.00 बजे घर वापस आने के पश्चात मृतिका ने अपनी मां से बताया कि वह अपनी सहेली के घर जा रही है और थोड़ी देर में वापस आ जायगी, किन्तु मृतिका लौटकर नहीं आई। उपरोक्त साक्षियों का कथन है कि पुत्री को घर लौटते समय पुलिस ने पकड़ लिया था। साक्षियों का कथन है कि वे पुलिस वालों को नहीं जानते हैं। पुत्री के घर वापस न लौटने पर उन्होनें सोचा कि वह अपनी सहली के घर खाना खाकर सो गई होगी। दूसरे दिन सुबह साहेबन के द्वारा बताया गया कि पुलिस ने उनकी लड़की को मार दिया है, तब उपरोक्त दोनों गवाह चांदो अस्पताल गये थे, जहां उन्हें यह ज्ञात हुआ कि उनकी पुत्री को पुलिस वालें पुलिस वाहन से बलरामपुर अस्पताल ले गये हैं। साक्षीगणों का कथन है कि नोवेल

नाम का व्यक्ति उनके साथ गया था। बलरामपुर अस्पताल में यह ज्ञात हुआ कि पहले दिन शाम को ही उनकी पुत्री की मृत्यु हो चुकी है। घटना दिनांक को उनकी पुत्री सायकल और मोबाईल लेकर अपनी सहेली के घर गई थी।

7— साक्षी बुधेश्वर ने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह कथन किया है कि चांदो के विजय ने उसे यह बताया था कि पुलिस ने उसकी पुत्री के साथ बलात्कार किया है। विजय ने ही यह जानकारी दी थी कि मृतिका को अस्पताल ले जाया गया है। साक्षी का कथन है कि चेड़रानाला के पास पुलिस कर्मी मौजूद थे, किन्तु उसने यह जानकारी प्राप्त नहीं की थी कि पुलिस वहां क्यों मौजूद है। उसे गांव वालों के द्वारा ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई कि रात के समय पुलिस कर्मियों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। साक्षी का कथन है कि विजय ने उसके मामा साहेबन को जानकारी दी थी और साहेबन के द्वारा उसे बताया गया था। साक्षी का यह भी कथन है कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि गांव के किसी व्यक्ति ने उसकी पुत्री को पुलिस द्वारा घटना दिनांक की शाम को ले जाते हुए देखा था।

8— जांच साक्षी क्रमांक—2 गोतियारी का कथन यह है कि विजय चांदो का ही रहने वाला है जिसने यह बताया था कि पुलिस ने मीना को मारा है विजय ने पुलिस वालों को मीना को अस्पताल ले जाते हुए देखा था। उसकी पुत्री के पेट में और छाती में दो गालियां लगी थी और पीछे से गोलियां निकली हुई थी। उसकी पुत्री की मृत्यु के पश्चात सायकल के बारे में कुछ नहीं बताया गया था। साक्षी का कथन है कि पुलिस के द्वारा उसकी पुत्री के साथ बलात्कार किया गया और तत्पश्चात हत्या कर दी गई। किन्तु उसे यह नहीं मालूम कि किस पुलिस कर्मी ने बलात्कार किया था और गोली मारी थी। साक्षी का कथन यह है कि पुलिस वालों ने यह बताया थ कि उनकी गलती से मीना की मृत्यु हुई है। पुलिस ने ही बताया था कि मीना के साथ

बलात्कार किया गया था और फिर उसे गोली मारी गई थी। चेड़रा नाले के पास मौजूद पुलिस कर्मियों ने ही बताया था कि मीना के साथ बलात्कार कर गोली मारी गई है। पुलिस के द्वारा यह नहीं बताया गया कि था कि रात में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। साक्षी ने स्पष्टतः इस तथ्य से इंकार किया है कि पुलिस मुठभेड़ के दौरान मीना को गोली लगी थी। साक्षी का कथन है कि उसकी पुत्री जब सहेली के घर से वापस नहीं लौटी तो उसने यह सोचा कि वह अपनी सहेली के घर ही रात में रूक गई होगी।

9— जांच साक्षी क्रमांक—3 देवकुमारी का कथन है कि मृतिका मीना उसकी सहेली थी। बकरियां चराने के दौरान दोनों की बातचीत हुआ करती थी। मीना घरेलू किस्म की लड़की थी और उसने कभी भी मीना को किसी से बातचीत करते या मिलते जुलते नहीं देखा था। मीना नक्सली नहीं थी। मीना की मृत्यु का कारण उसे ज्ञात नहीं है। मीना की मृत्यु की जानकारी उसे तब हुई जब लाश गांव में लाई गई। घटना दिनांक को उसकी मीना से कोई मुलाकात नहीं हुई थी।

10— जांच साक्षी क्रमांक—4 गणेशराम ग्राम करचा का निवासी है। साक्षी का कथन यह है कि घटना के समय मतिका मीना खलखो पढ़ाई छोड़ चुकी थी। साक्षी का कथन है कि मीना खलखों उसके घर में घरेलू कार्य करती थी जिसके बदले में वह उसे पैसा और खाना दिया करता था। घटना के पूर्व मीना खलखो ने उसके घर से काम छोड़ दिया था। मीना का आचरण अच्छा था। साक्षी का कथन है कि उसने किसी बाहरी व्यक्ति को मीना खलखो से मिलते—जुलते नहीं देखा था। काम के लिए मृतिका उसके घर प्रातः से 10.00 बजे तक तथा शाम को 4.00 से 6.00 बजे तक आया करती थी।

11— साक्षी गणेशराम का कथन है कि घटना दिनांक को शाम के समय मृतिका मीना के पिता ने फोन पर उसे मीना के मृत्यु की

जानकारी दी थी। उसकी जानकारी में गांव में न तो नक्सली आये थे और न ही कोई नक्सली मुठभेड़ हुई थी। पुलिस के द्वारा मृतिका को गोली मार दी गई थी। साक्षी का प्रतिपरीक्षण में यह कथन है कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि घटना दिनांक को मीना अपनी सहेली के घर गई हुई थी। उसे गांव वालों के द्वारा यह जानकारी हुई थी कि मीना महुवा फुल चुनने के लिए रात्रि 3.00 बजे गई थी। साक्षी का कथन है कि **उसके घर से पूर्व दिशा में चेड़रा नाला है और वहां 3, 4, 5 गोलियां चलने की आवाज आई थी।** साक्षी का कथन है कि मृतिका मीना खलखो के पिता ने उसे यह जानकारी दी थी कि मीना महुवा बिनने के लिए गई थी। साक्षी ने इस तथ्य से स्पष्टतः इंकार किया है कि चेड़रा नाला के पास पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई थी।

12– साक्षी गणेशराम का यह भी कथन है कि वह घटनास्थल पर एक दो दिनों के बाद गया हुआ था, तब नाले पास रहने वालों ने बताया था कि चेड़रा नाला के पास लाश पड़ी थी। लाश पड़े होने का स्थान नाले से 15 से 20 फीट की दूरी पर है जिसके आसपास पेड़ पौधे लगे हुए हैं। साक्षी का कथन यह है कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि नक्सलियों के द्वारा उसके गांव में आकर नक्सली वारदातें की गई हैं। उसे इस बात की जानकारी नही है कि नक्सलियों के द्वारा राजपुर के नेता पुरूषोत्तम तिवारी तथा कुसमी थाना क्षेत्र के अंतर्गत वन कर्मियों की नक्सलियों के द्वारा हत्या की गई थी।

13– जांच साक्षी क्रमांक–5 अवध किशोर, जांच साक्षी क्रमांक–6 सुरेन्द्र तिर्की का कथन है कि मृतिका मीना खलखो की मृत्यु नक्सली मुठभेड़ में नहीं हुई है, बल्कि उसकी हत्या दिनांक 06/7/11 को पुलिस के द्वारा की गई है। मृतिका मीना खलखो का व्यवहार और आचरण ऐसा नहीं था कि वह नक्सलियों से मिली हुई है या स्वयं

नक्सली है। साक्षियों का कथन है कि मीना खलखो स्थानीय स्तर पर कृषि कार्य व मजदूरी किया करती थी।

14— साक्षी क्रमांक— 5 अवध किशोर का प्रतिपरीक्षण में यह कथन है कि उसके और मृतिका के घर के बीच 150 मीटर की दूरी है। घटना के समय मृतिका पढ़ाई छोड़कर खेती—बाड़ी का काम किया करती थी। साक्षी का कथन है कि आवश्यकता होने पर मृतिका उसके घर भी घरेलू कार्य करने आ जाया करती थी। साक्षी का कथन है कि उसने मृतिका कभी भी अपरिचित व्यक्ति से मिलते —जुलते नहीं देखा।

15— साक्षी क्रमांक—6 सुरेन्द्र तिर्की का कथन है कि रिश्ते में कु0 मीना खलखों उसकी भतीजी थी। वह कभी कभार उसके घर आया जाया करती थी। घटना के पहले दिन सुबह 8.00 बजे मृतिका उसके घर आई थी और 3.00 बजे वापस गई थी। साक्षी का कथन है कि मृतिका के द्वारा किये जाने वाले काम के बदले वह उसे मजदूरी दिया करता था। घटना से पहले दिन उसने 80/— रूपये मजदूरी मीना खलखो को दी थी। घटना दिनांक को मृतिका महुवा का फल बिनने के लिए प्रातः जल्दी गई थी। मृतिका प्रायः काम के अलावा अपने घर पर ही रहा करती थी। साक्षी का कथन है कि वह यह नहीं मानता कि पुलिस मुठभेड़ में मृतिका को गोली लगने से मृत्यु हुई थी, बल्कि उसे यह जानकारी मिली थी कि मृतिका को गोली मारी गई है। साक्षी का कथन है कि उसे अन्य लोगों के द्वारा यह जानकारी दी गई थी कि घटना दिनांक को मृतिका महुवा बिनने के लिए गई हुई थी। चेड़रा नाला के आसपास महुवा के पेड़ हैं। नवल के घर के पास भी एक पेड़ है।

16— जांच साक्षी क्रमांक—7 रजन का कथन है कि वह बचपन से मीना को जानता था। वह स्वयं पैदाईसी ग्राम करचा का निवासी है का रिश्ते में मीना खलखो उसकी भतीजी लगती थी इसलिए मीना का

उसके घर आना जाना थ। मीना पढाई छोड़ चुकी थी और बकरी चराने, महुवा बिनने बाहर जाया करती थी। साक्षी का कथन है कि उसका गांव झारखण्ड सीमा से लगा हुआ है और आसपास जंगली इलाका है किन्तु उसने गांव में कभी नक्सली वारदात होते नहीं देखी। नक्सलियों को गांव में आने के बारे में भी उसने कभी कुछ नहीं सुना। घटना दिनांक को उसने मीना को बकरी चराते शम 4.00 बजे के करीब देखा था। दूसरे दिन सुबह उसे जानकारी मिली कि मीना की मृत्यु हो गई है।

17— साक्षी का कथन यह है कि उसने सी.आर.पी.एफ. और पुलिस को घुमते हुए देखा है किन्तु मीना की मृत्यु से ठीक पहले सी0आर0पी0एफ0 और पुलिस पार्टी को अपने गांव में नहीं देखा था। मीना और उसके घर के बीच आधा किलोमीटर की दूरी है। मीना की मृत्यु जिस स्थान पर हुई थी (चेड़रा नदी के पार) वह स्थान मीना के घर से पांच किलोमीटर की दूरी पर है। नदी और गांव के बीच जंगल स्थित है। जिस स्थान पर मीना की मृत्यु हुई थी वह बस्ती है जिसे पियारटोला कहते है।

18— साक्षी का यह भी कथन है कि बरगड़ (झारखण्ड) बाजार में नक्सलियों के द्वारा तोड़फोड़ की गई थी किन्तु उसे यह नहीं मालूम कि बाजार आने जाने वालों के साथ मारपीट भी की गई थी।

19— जांच साक्षी कमांक—8 हरिचरण भी ग्राम करचा का निवासी है तथा पैदाईसी ग्राम करचा में निवासरत है। साक्षी का यह कथन है कि गांव के रिश्ते से मृतिका मीना खलखों उसे अपना बड़ा पिता मानती थी। वह पढ़ाई छोड़ चुकी थी। साक्षी का कथन है कि उसके और मीना के घर के बीच आधा किलोमीटर की दूरी है। पढ़ाई छोड़ देने के बाद से मीना मजदूरी का काम किया करती थी और उसके घर भी कभी कभार मजदूरी के लिए आया करती थी। साक्षी का

कथन है कि मीना की मृत्यु होने के लगभग 8 दिन पहले उसने मीना को गणेशराम के यहां काम के लिए जाते हुए देखा था। साक्षी का कथन है कि उसके गांव में नक्सली गतिविधियां कभी नहीं होती है। घटना के दूसरे दिन सुबह उसे मीना के मृत्यु की जानकारी मिली थी। घटना दिनांक को नक्सलियों के साथ पुलिस मुठभेड़ जैसी कोई वारदात नहीं हुई थी।

20— साक्षी हरिचरण का प्रतिपरीक्षण में यह कथन है कि उसका गांव जंगल से लगा हुआ है। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि थाना चांदों, बलरामपुर, कुसमी, शंकरगढ़ क्षेत्र नक्सलियों से प्रभावित है। उसे इस बात की जानकारी नहीं कि नक्सली गतिविधियों के बढ़ जाने के कारण बलरामपुर को पुलिस जिला घोषित किया गया। साक्षी का यह कथन है कि वह मीना के द्वारा उसके घर पर काम करने की मजदूरी दिया करता था। घरेलू कार्य मजदूरी के अलावा मीना और क्या काम करती थी इसकी उसे जानकारी नहीं है।

21— शाासन की ओर से परीक्षित साक्षी कमांक—1 निकोदीन खेस, (निरीक्षक) जो दिनांक 06/07/11 को थाना चांदों, जिला बलरामपुर में उपनिरीक्षक के पद पर कार्यरत था का कथन है कि वह वर्ष 208 से जुलाई 2011 तक थाना चांदो में पदस्थ रहा और उसकी पदस्थापना के दौरान थाना क्षेत्र के अंतर्गत नक्सली गतिविधियां समय समय पर होती रही है। उस क्षेत्र के गांव नक्सली गतिविधियों से बहुत प्रभावित रहे हैं। दिनांक 14/02/11, 08/04/11, 05/06/11 को नक्सलियों के द्वारा आगजनी, पुल निर्माण के दौरान लोगों के साथ मारपीट एवं पुलिस गश्त के दौरान मुठभेड़ की घटनाएं कारित की गई, जिस सबंध में पृथक पृथक अपराध दर्ज किये गये। पुलिस अधीक्षक कार्यालय बलरामपुर को पुलिस मुख्यालय रायपुर से यह सूचना प्राप्त हुई थी कि दिनांक 04/7/11 से नक्सलियों के द्वारा विरोध सप्ताह मनाने की घोषणा की गई है। इस सूचना के तारतम्य में मुखबिर

सूचना प्राप्त हुई थी कि झारखण्ड से 30–35 की संख्या में नक्सली दस्ता कमाण्डर वीर साय के साथ चांदो इलाके में घुस गया है और किसी गंभीर वारदात को अंजाम देने की आशंका है।

22– साक्षी निकोदीन खेस का कथन है कि मुखबिर सूचना के आधार पर 05/7/11 को रात्रि 22.30 बजे जिला बल एवं छ0ग0 बल के 24 अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ वह थाना चांदो से गश्त/सर्चिंग पर निकला था। उसके साथ थाना चांदो के प्रधान आर0 क0 63 ललित भगत एवं आरक्षक कमांक 196, 396, 435, 414, 437, 453, 797, 421, 216 एवं 404 भी थे। इसके अतिरिक्त छ0ग0सशस्त्र बल बारवीं बटालियन के आरक्षक व प्रधान आरक्षकगण आर्म्स एम्यूनेशन के साथ थे।

23– साक्षी का यह कथन है कि 5/7/11 को थाना चांदो से पैदल रवाना 2.30 बजे होने पर जंगल रास्ते से खजूरियाडीही–नवाडीह के बाहर सर्चिंग करते हुए रेगड़ नदी और कन्हर नदी के संगम स्थान पर पहुंचे थे जहां आड़ लेकर 12.30 बजे से 2.00 बजे तक नक्सलियों की आहट लेते रहे। तत्पश्चात झाड़, खेत, नाले की सर्चिंग करते हुए करचा की तरफ बढ़े और चेड़रा नदी के किराने दलबल सहित रात्रि 3.00 बजे पहुंचे थे। 3.15 बजे नवाडीह करचा रोड की पूर्व दिशा से पुलिस पार्टी के उपर फायरिंग होना प्रारम्भ हुई। जिस पर नक्सली हमले की आशंका को भांपकर उसने अपनी पुलिस पार्टी को मकान और पेड़ों की आड़ में पोजिशन लेने के निर्देश दिये।

24– साक्षी का शपथ पर यह कथन है कि पुलिस पार्टी पर चेड़रा नदी के किनारे की ओर से रूक–रूक कर कई स्थानों से फायरिंग होने लगी, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि नक्सली घात लगाकर पूर्व से बैठे थे और उनके द्वारा पुलिस पार्टी की जवानों की हत्या कर हथियार लूटने के प्रयोजन से फायरिंग की जा रही थी। उसने पुलिस

जवानों और हथियारों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नक्सलियों से आत्म समर्पण करने के लिए कहा किन्तु नक्सलियों की ओर से फायरिंग जारी रखी गई, तब उसने स्वयं नक्सलियों की दिशा में फायरिंग की, जिसके कारण नक्सली पार्टी में भगदड़ मचने जैसी आवाजें आने लगी। 30–35 नक्सली अंधेरे का लाभ लेकर नदी किनारे से जंगल की ओर भाग गये प्रतीत हो रहा था। सावधानीवश पुलिस पार्टी उजाला होने तक वहीं उसी स्थान पर पोजिशन लिये रही। सुबह उजाला होने पर नक्सलियों के एम्बुश की जगह पर एक लड़की घायल अवस्था में पड़ी दिखाई दी थी जिससे पूछताछ किये जाने पर उसने अपना मीना पुत्री बुधेश्वर उरांव, ग्राम करचा की रहने वाली बतायी तथा नक्सलियों एवं पुलिस के बीच होने वाली गोली–बारी में स्वयं को गोली लगना बताया था। साक्षी का कथन है कि उसने लड़की द्वारा पानी मांगने पर उसने पानी पिलाया। साक्षी का उपरोक्त कथन अत्यंत ही अस्वाभाविक है, क्योंकि चोटग्रस्त लड़की के द्वारा गोली लगने के पश्चात् सुबह तक किसी प्रकार की कोई आवाज इत्यादि का किया जाना साक्षी द्वारा प्रकट नहीं किया गया है। सामान्य तौर पर चोट लगने के पश्चात् चोटग्रस्त व्यक्ति के द्वारा सहायतार्थ शोर किया जाना अपेक्षित है।

25– साक्षी निकोदीन खेस का शपथ पर यह भी कथन है कि लड़की के शरीर से खून बह रहा था और तत्काल चिकित्सा की आवश्यकता प्रतीत हो रही थी किन्तु पुलिस पार्टी के पास उसे अस्पताल ले जाने का कोई साधन नहीं थ। उसी समय मौके पर एक सफेद बोलेरो गाड़ी जो किसी दूसरे मरीज को अस्पताल ले जा रही थी आई जिसे रूकवाकर घायल लड़की को उक्त बोलेरो गाड़ी से चांदो अस्पताल भिजवाया गया था। घायल लड़की के साथ विजेन्द्र पैकरा आरक्षक क्0 396, आरक्षक क्0 770 संतोष गुप्ता को सुरक्षा के निर्देश देकर भेजा गया था। साक्षी का कथन यह है कि तत्पश्चात

उसने घटनास्थल के पास निवासरत नवेल भगत और सिंघल उरांव की उपस्थिति में तलाशी ली थी। घायल लड़की के पास के स्थान से एक नग भरमार बंदूक, एक हरे रंग का पिटटू, जिसमें दो डेटोनेटर, लाल रंग का वायर लगे हुए, भरमार बन्दूक की 100 ग्राम बारूद, हाथ से बनाये गये लोहे का 12 नग पुराने जंग लगे छर्रे, एक बंडल लाल रंग का तार, (20 मीटर) मिला था।

26— साक्षी का यह कथन है कि पिटटू और बैग में नक्सली पुस्तकें, पांम्पलेट व दैनिक उपयोग की चीजें थी। बैग के पास 9801332174 सिम नम्बर का एक मोबाईल पड़ा मिला था। नक्सली मुठभेड़ के स्थान से राजकुमार गुप्ता के निर्माणाधीन मकान के पीछे से एस0एल0आर0 के चार नग खाली खोखे, पलास के पेड़ के पास 115 बोर का एक नग खाली खोखा तथा उससे 15 कदम की दूरी पर ए0के0 47 रायफल का एक नग खाली खोखा मिला जिसे गवाहों के समक्ष जप्त किया गया।

27— साक्षी का यह भी कथन है कि पुलिस पार्टी द्वारा मुठभेड़ के समय की जाने वाली फायरिंग और ली गई पोजिशन के स्थानों से ए0के0 47 रायफल के चार नग खोखे, एस0एल0.आर का एक नग खाली खोख एवं एस0एल0आर0 के खाली खोखे भी जप्त किये थे। मुठभेड़ के पश्चात् सुबह उसने अपने जवानों से फायर किये गये एम्यूनेशन का हिसाब लिया था। जिसमें उसके स्वयं के द्वारा ए0के0 47 के 6 राउंड फायर किये गये थे। बारवीं बटालियन के आरक्षक क्र0 193 जीवन लाल द्वारा एस0एल0आर0 से एक राउंड फायर किया गया था एवं आरक्षक क्र0 203 धरमलाल द्वारा एस0एल0आर0 से चार राउंड फायर किया जाना पाया गया था। साक्षी का कथन है कि पुलिस पार्टी के द्वारा की गई फायरिंग में ए0के0 47 से किये गये 6 राउंड में से 4 खोखे मिले थे तथा एस0एल0आर0 से किये गये 5 राउंड फायर के 5 खोखे मिले थे जिन्हें गवाहों के सामने जप्त किया था। साक्षी का

कथन है कि उसने घटना की सूचना तत्कालीन पुलिस अधीक्षक एवं उच्चाधिकारियों को दी थी। दिनांक 06/07/11 को उसे मीना खलखो के साथ गये आरक्षकों ने सूचित किया था कि चांदो में चिकित्सक नहीं मिलने के कारण उसे बलरामपुर अस्पताल ले जाया गया था जहां डॉ0 आर0एस0मरकाम ने उसे मृत घोषित कर दिया है।

28– साक्षी निकोदीन खेस ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसके थाना चांदो में पदस्थ रहने के दौरान पहले की तुलना में नक्सली गतिविधियों में कमी आई थी। साक्षी की यह भी स्वीकारोक्ति है कि घटनास्थल थाना शिवपुर के अंतर्गत आता था। थाना चांदों से रेगड़ नदी और कन्हर नदी संगम की दूरी 9 से 10 किलोमीटर की दूरी पर है तथा संगम से नवाडीह की दूरी 6 से 7 किलोमीटर की है। **साक्षी का कथन है कि पुलिस पार्टी जिस दिश में जा रही थी उसकी सिर्फ दाहिनी ओर से गालियां चल रही थी।** उसके द्वारा नक्सलियों को आत्मसमर्पण के लिए ललकारे जाने पर कोई मौखिक प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ था, किन्तु गोलियां चली थी। नक्सलियों के हल्ले गुल्ले की आवाज सुनाई दे रही थी, किन्तु स्पष्ट कोई आवाज नहीं आ रही थी। उसके और नक्सलियों के बीच 75 से 100 मीटर की दूरी रही होगी। उसने प्रत्यक्षतः नक्सलियों को भागते हुए नहीं देखा था किन्तु आभास हो रहा था कि नक्सली भाग रहे हैं।

29– साक्षी का कथन है कि उसने स्पष्टतः यह नहीं देख था कि घायल मीना के शरीर पर कुल कितनी गालियां लगी है, जिस समय उसने मीना को घायल अवस्था में देखा थ तब वह बोल रही थी, उसके कमर के हिस्से से रक्त स्त्राव हो रहा था। मोबाईल नं0 9801332174 उस गवाह का था जिसने लड़की को उठाने में मदद की थी। उसे उस गवाह का नाम नहीं मालूम हैं । साक्षी का कथन है कि मोबाईल के काल डिटेल भी उसने नहीं निकलवाये थे। साक्षी का यह भी कथन है कि वह यह नहीं बता सकता कि उसके द्वारा लिखी गई

देहाती नॉलिस में मृत मीना खलखो का नक्सली होने संबंधी विवरण लिखा गया था या नहीं। साक्षी की यह स्वीकारोक्ति है कि उसके तीन वर्ष के कार्यकाल के दौरान मीना खलखो का नाम नक्सली गतिविधियों में आलिप्त होने वालों की सूची में उसके समक्ष नहीं आया था। वह यह नहीं बता सकता कि मीना खलखो नक्सली थी या नहीं थी। थाने में संदिग्ध नक्सलियों का कोई रिकार्ड नहीं रहता है। नक्सली गतिविधियों में आलिप्त मुख्य नक्सलियों की जानकारी पुलिस अधीक्षक कार्यालय में होती है। सकिय नक्सलियों के संबंध में पुलिस को कुछ–कुछ जानकारी रहती थी।

30– साक्षी निकोदीन खेस के कथनानुसार घटनास्थल के पास एक घर था और थोड़ी दूरी पर और भी मकानात् थे। साक्षी का कथन है कि सर्च में टार्च और नाईट वीजन का प्रयोग किया गया था। साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया है कि गवाह नवेल को पुलिस के पक्ष में गवाहीं देने के लिए डराया धमकाया गया था। साक्षी की यह स्पष्ट स्वीकोरोक्ति है कि मुठभेड़ में किसी भी पुलिस कर्मी को चोट नहीं आई थी। उक्त मुठभेड़ में मीना खलखो के आहत होने के अलावा अन्य किसी नक्सली के हताहत होने की जानकारी नहीं मिली थी। साक्षी का यह कथन है कि उसके कार्यकाल के दौरान मुठभेड़ में नक्सलियों के मरने पर शासन की ओर से कोई आर्थिक सहयोग उन्हें नहीं दिया गया था। साक्षी की यह भी स्वीकारोक्ति रही है कि घटना के बाद मीना खलखो के माता–पिता को शासन की ओर से दो लाख रूपये दिये गये थे।

31– शासन की ओर से प्रस्तुत साक्षी क्रमांक–2 महेश कुमार (प्रधान आरक्षक) का शपथपूर्ण कथन यह है कि 2006 से वर्ष 2011 तक वह थाना चांदो, पुलिस जिला बलरामपुर में प्रधान आरक्षक के पद पर कार्यरत रहा है। दि0 5/7/11 को रात्रि 10.00 बजे थाना चांदो में 'चेकरोल कॉल'' के बजने पर वह थाने में पदस्थ सभी पुलिस

अधिकारी और कर्मचारी इक्टठे हो गये थे। थाना प्रभारी उपनिरीक्षक श्री निकोदीन खेस ने बताया था कि झारखण्ड सीमा से 30–35 की संख्या में नक्सली दस्ता कमाण्डर वीरसाय के साथ थाना क्षेत्र में घुस आये हैं और उनके द्वारा किसी गंभीर वारदात को अंजाम दिये जाने की आशंका है इसलिए सर्चिंग पर निकलना है। श्री खेस ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दिये थे कि नक्सली हरकत दिखने पर उनका आदेश होने पर ही फायर किया जाये। साक्षी का कथन है कि श्री खेस के नेतृत्व में वह स्वयं और अन्य 24 पुलिस अधिकारी, कर्मचारी 22.30 बजे थाना चांदो से पैदल रवाना होकर रेगड़ नदी और कन्हर नही के संगम पर पहुंचे थे। जहां 12.30 बजे रात से लेकर 2.00 बजे रात तक नक्सलियों की आहट लेते रहे। तत्पश्चात झाड़, खेत नाले की सर्चिंग करते हुए नवाडीह खार होकर करचा की तरफ बढ़े और चेड़रा नदी के किनारे लगभग 3.00 बजे पहुंचे थे। 3.15 बजे के करीब रोड की पूर्व दिशा की ओर से पुलिस पार्टी के उपर फायरिंग होना प्रारम्भ हुआ। नक्सली हमला भांपकर पुलिस पार्टी को श्री खेस ने मकान और पेड़ों की आड़ में पोजिशन लेने के निर्देश दिये।

32– साक्षी का शपथपूर्ण कथन यह है कि पुलिस पर लगातार नक्सलियों के द्वारा फायरिंग होने लगी तब श्री खेस ने चिल्लाकर नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने के लिए ललकारा, किन्तु फायरिंग जारी रहने के कारण पुलिस पार्टी की ओर से फायरिंग की गई। पुलिस की फायरिंग से नक्सलियों में भगदड़ मचने की आवाज आने लगी और 30–35 नक्सली अंधेरे का लाभ लेकर जंगल की ओर भाग जाना प्रतीत हुए। उजाला होने पर मुठभेड़ के स्थान पर एक लड़की घायल अवस्था में दिखाई दी जिससे श्री खेस द्वारा पूछताछ की गई। घायल लड़की को मौके पर आई एक सफेद बोलेरो गाड़ी से दो आरक्षकों के साथ इलाज के लिए चांदो अस्पताल भेज दिया गया।

33– साक्षी का कथन है कि लड़की को अस्पताल भेजने के बाद श्री खेस ने गांव के लोगों के समक्ष एम्बुस स्थान से एक भरमार बन्दूक, काले और हरे रंग के दो पिटटू जिसमें नक्सली साहित्य और विस्फोटक सामान था जप्त किया। श्री खेस के द्वारा पुलिस पार्टी के द्वारा की गई फायरिंग के खाली खोखे, खून लगे मिटटी जप्त की गई। साक्षी का यह भी कथन है कि उसकी थाना चांदों की पदस्थापना (लगभग 5 वर्ष) के दौरान मीना खलखो का नक्सली के रूप में कभी नाम सामने नहीं आया। नक्सली नेताओं के संबंध में थाने में जानकारी रहती है । साक्षी का कथन है कि घटना के समय उसने गोली नहीं चलाई थी, थाना प्रभारी के द्वारा गोली चलाने के निर्देश दिये गये थे, प्रत्येक कर्मी ने निर्देश के बावजूद गोली नहीं चलाई थी। जिस कर्मी को यह महसूस हो रहा था कि कोई नक्सली है उसी के द्वारा गोली चलाई गई थी। सभी 25 पुलिस कर्मी सश्त्रों से लेस थे। साक्षी का कथन है कि बारहवी बटालियन के एक कर्मी ने बन्दूक चलाई थी। दाहिनी तरफ से नक्सलियों की ओर से फायरिंग की जा रही थी। पुलिस पार्टी और नक्सलियों के बीच 100 मीटर की दूरी अंदाजन थी। नक्सलियों के चिल्लाने की आवाज आ रही थी, किन्तु स्पष्ट बातचीत सुनाई नहीं दे रही थी। साक्षी का कथन है कि घायल लड़की बातचीत कर रही थी वह कपड़े पहने हुए थी इसलिए गोली कहां लगी है यह समझ में नहीं आ रहा था।

34– शासन की ओर से प्रस्तुत साक्षी कमांक– 3 प्रधान आरक्षक रामेश्वर समरा का शपथपूर्ण कथन है कि वह पुलिस विभाग के अंतर्गत वर्ष 2007 से रक्षित केन्द्र बलरामपुर में आरर्मोर के पद पर नियुक्त किया गया था। आरक्षी केन्द्र चांदो के अपराध कमांक 25/11 से संबंधित जप्तशुदा आर्म्स /एम्यूनेशन सीलबंद हालत में परीक्षण के लिए उसके समक्ष लाई गई थी, जिसका जांच प्रतिवेदन 16/07/11 को उसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उक्त अपराध कमांक में

जप्तशुदा एक नली वाली भरमार बन्दूक की जांच उसने की थी, जिसके सभी पुर्जे परीक्षण के समय सही हालत में था तथा बैरल में बारूद की गंध पाई गई थी। साक्षी का कथन है कि बैरल में बारूद का गंध पाया जाना यह दर्शाता है कि उक्त बन्दूक से एक माह के अंदर फायर किया गया था। बन्दूक चालू हालत में थी, जिससे किसी व्यक्ति के प्राण लिये जा सकते थे। साक्षी का कथन है कि सीलबंद हालत में हरे रंग की पिटठू में रखी गई 100 ग्राम काले रंग की बारूद, 12 नग लोहे केछररे पाये गये थे, जिनका उपयोग परीक्षित भरमार बन्दूक से फायर करने में किया जा सकता था।

35— आर्मोरर का यह भी कथन है कि उसके समक्ष जांच के लिए 315 बोर का एक खाली खोखा, जिसके पेन्दे पर "BIIKF" लिखा था! एल0एल0 आर0के दो नग खाली खोखे, जिनके पेन्दे पर "OFV7. 62 M 8094" लिखा था तथा एस0एल0आर0 का एकनग खाली खोखा था, सिके पेन्दे पर "OFV7. 62 M 8094" लिखा था।

36— आर्मोरर का यह भी कथन है कि उपरोक्त के अतिरिक्त एस0एल0आर0 का एक नग खाली खोखा, जिसके पेन्दे पर "OFV7. 62 M 8094" लिखा था तथा ए0के0—47 रायफल का एक नग खाली खोखा, जिसके पेन्दे पर "7H818092" लिखा था, की जांच उसके द्वारा की गई थी। साक्षी का कथन है कि सभी खाली खोखों के फायरिंग पाईट पर फायरिंग पिन के निशान पाये गये थे।

37— साक्षी का यह भी कथन है कि जिस बन्दूक को जांच के लिए भेजा गया था वह नक्सली प्रकरण से संबंधित थी और भेजे गये कागज में नक्सली का नाम लिखा था जो उसे याद नहीं है। साक्षी का कथन है कि उसे नमूना सील नहीं भेजी गई थी और नमूना सील को मिलाये बगैर ही उसने आयुध की सील खोली थी। साक्षी का कथन है कि उसने अपने प्रतिवेदन और आयोग के समक्ष प्रस्तत शपथ पत्र में

यह नहीं दर्शाया है कि परीक्षित भरमार बन्दूक स्थानीय स्तर पर बनाई गई थी। बन्दूक से गोली चलने की अवधि परीक्षण समय से एक माह से कम या अधिक भी हो सकती है।

38— आयोग के समक्ष शासन की ओर से नवेल भगत पुत्र मुनेश्वर भगत निवासी ग्राम नवाडीहकला, थाना चांदो का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। साक्षी ने शपथ पर यह कथन किया है कि दिनांक 05/07/11 को वह अपने परिवार के साथ अपने घर में सोया हुआ था, तब देर रात तीन–चार बजे के करीब गोली चलने की आवाज सुनाई दी थी। चड़रा नदी की तरफ से कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। डर के कारण वह और उसका परिवार घर से बाहर नहीं निकला था। उसके गांव ग्राम नवाडीह में वर्ष 2011 में नक्सली गतिविधियां हुई थी, जिसके अंतर्गत पुल निर्माण में लगे वाहन मशीनों को जला दिया गया था। सुबह होने पर जब वह घर से बाहर निकला तो उसने अपने घर के आसपास पुलिस वालों को देखा था। उसका घर ग्राम नवाडीहकला में चेड़रा नदी के पास करचा रोड पर स्थित है। चेड़रा नदी के किराने एक लड़की घायल अवस्था में पड़ी थी, जिसे पुलिस वालों ने उसके सामने सफेद रंग की गाड़ी में इलाज के लिए चांदो अस्पताल भेजा था। पुलिस द्वारा उसके बताया गया कि रात में पुलिस और नक्सलियों के बीच गोलियां चल रही थी।

39— साक्षी का कथन है कि उसके सामने चांदो थाना के प्रभारी श्री खेस के द्वारा नदी के किनारे तलाशी की कार्यवाही की गई थी। घायल लड़की जिस स्थान पर पड़ी थी वहां पेड़ के पास से एक भरमार बन्दूक, एक हरे रंग का बैग और एक मोबाईल मिला था। भरमार बन्दूक के पास कुछ दूर तक खून फैला हुआ था उसी स्थान से कुछ दूरी पर कले रंग का बैग मिला था, जिसमें कुछ पुस्तकें, लाल रंग का बिजली का तार और दैनिक उपयोग की चीजें थी। चेड़रा नदी की ओर राजकुमार गुप्ता के निर्माणाधीन मकान के पीछे कारतूस के

खाली खोखे मिले थे, जिन्हें पुलिस ने जप्त किया था। समस्त जप्ती कार्यवाही के समय सिंगन उरांव मौजूद था और उसने जप्ती पत्रों पर अंगूठा निशानी लगाई थी।

40– साक्षी नवेल भगत का प्रतिपरीक्षण करने का अनुरोध मृतिका मीना खलखो के माता–पिता की ओर से किया गया था, किन्तु शासकीय अभिभाषक साक्षी को प्रतिपरीक्षण के लिए उपस्थित करने में असफल रहे। उल्लेखनीय है कि **साक्षी नवेल भगत ने शपथ पत्र व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होकर आयोग के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया था। शासकीय अभिभाषक के माध्यम से शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया था।**

41– समीक्षा योग्य उपरोक्त बिन्दुओं के संबंध में सर्वप्रथम मृतिका मीना खलखो की मृत्यु की प्रकृति के निर्धारण हेतु पोस्टमार्टम प्रतिवेदन पर विचार किया जाना आवश्यक है। आरक्षी केन्द्र, चांदो के द्वारा पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 25/11 अंतर्गत धारा 147, 148, 149, 307 भा0दं0वि0 एवं 25, 27 आर्म्स अधिनियम की डायरी में संलग्न शव परीक्षण प्रतिवेदन का अवलोकन सूक्ष्मता से किया गया। शव परीक्षण दो चिकित्सों डॉ0 एस0के0सिन्हा एवं डॉ0 आर0एस0मरकाम के द्वारा दिनांक 06/07/2011 को 3.45 बजे दोपहर किया गया। शव परीक्षण के दौरान चिकित्सकों की टीम द्वारा मृतिका के शरीर पर निम्नलिखित चोटें पाई गई :–

1– Externally in the ant. of the bally having small hole as two & half below to the umbilicus & midline of pubic by mphysis measuring ½ c.m. hole, wich in inverted and blood stain also found on pressure that produce blood. Other hole also present on the right side of

margin (Mark) of areola wich is measuring of 1/2 c.m. in diameter. Both wound is entry wound.

2- Exist wound also found on the Lat. Side of the left Pelwic area measuring 2 & half x 2 x ½ upper quadrent of buttock, onther measuring ½ " X 1 X ½ just lenter angle of scepula on the right side.

3- No other injuri fuoud over the hole body.

Interal Examination

4- lacerated wound on the middle and lower jone of leungs having blood clots and track of the blood also seen. Fracture of sevanth riv with everted wound.

5- Rupture of Urinary Bladder at upper part. Upper part of the utreous teared and blood present.

6- Having dilated vagina- havitual about sexul intercourse (clots found)

7- Left side of pelvic bone (removed bone chip)

8- Lacerated wound on the right side of the thigh .

9- above mentioned injuries r ante mortem in nature.

Opinion –

1. Cause of death – shock due to excessive harmmerghoge due to gun shot injury. Death Homcidal in nature.

   Time since Death, 10-14 hrs.

42– उपरोक्त शव परीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार मृतिका कु0 मीना खलखो की मृत्यु बन्दूक की गोली लगने के कारण हुई थी तथा उसे आने वाली चोटें मृत्यु पूर्व की थी तथा हत्यात्मक प्रवृत्ति की थी। चिकित्सों के अभिमतानुसार मृतिका की मृत्यु शव परीक्षण दिनांक 06/07/2011 के दोपहर 3.45 मिनट से 10 से 14 घंटों के भीतर होना पाई गई थी **अर्थात मृतिका मीना खलखो की मृत्यु दिनांक 05/07/2011 एवं 06/07/2011 की दरमियानी रात में 1.45 बजे से लेकर 5.45 बजे के मध्य हुई थी।** शव परीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार मृतिका को सबसे पहली बार दिनांक 06/07/2011 को 8.20 बजे प्रातः चिकित्सक के द्वारा देखा गया था और तत्समय कु0 मीना खलखो की मृत्यु हो चुकी थी। अतः, शव परीक्षण प्रतिवेदन के अभिमतानुसार मृत्यु पूर्व आने वाली बन्दूक की चोटों के कारण मृतिका की मृत्यु कारित हुई है तथा प्रकृति "हत्यात्मक" है। **(पोस्टमार्टम प्रतिवेदन एजेक्जर– 'A' की छायाप्रति संलग्न है)**

43– चिकित्सकों की टीम द्वारा शव परीक्षण के दौरान मृतिका को आदतन संभोग का आदी होना पाया गया। शव परीक्षण करने वाले चिकित्सकों के द्वारा योनी स्त्राव के स्मीयर एवं स्लाईड तैयार किये जाकर विधि विज्ञान प्रयोगशाला से जांच के लिए पुलिस को सौंपे गये। विधि विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर के प्रतिवेदन दिनांक 24/08/11 के

अनुसार मृतिका की अण्डरवीयर एवं पोस्टमार्टम के दौरान योनी स्त्राव स्लाईड में वीर्य के धब्बे एवं मानव शुक्राणु पाये गये। उल्लेखनीय है कि पोस्टमार्टम के दौरान चिकित्सकों की टीम के द्वारा मृतिका के जो खून आलूदा कपड़े एवं योनी स्त्राव का स्लाईड तैयार किया गया था उसे परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशला रायपुर के अलावा राज्य विधिक विज्ञान प्रयोगशाला सागर (म0प्र0) भी दिनांक 05/03/2012 को इस अनुरोध के साथ भेजा गया था कि कपड़ों एवं स्लाईड का डी0एन0ए0 (पुरूष तत्व का) परीक्षण करें।

44— **राज्य विधिक विज्ञान प्रयोगशाला, सागर (म0प्र0) के द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि मृतिका मीना खलखो के कपड़े एवं योनी स्त्राव से तैयार स्लाईड पर पुरूष डी.एन.ए. प्रोफाईल नहीं पाई गई।** उपरोक्तानुसार मृतिका के कपड़ों एवं योनी स्त्राव से तैयार स्लाईड के संदर्भ में दो विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं के द्वारा वीर्य एवं मानव शुक्राणु विघमान होने के संबंध में भिन्न–भिन्न अभिमत दिया गया है। तद्नुसार अनुसांधन के दौरान विशेषज्ञों की परस्पर विरोधाभासी रिपोर्ट प्राप्त हुई है।**(एफ0एस0एल0 रायपुर प्रतिवेदन एनेक्जर– 'B' एवं एफ0एस0एल0 सागर प्रतिवेदन एजेक्जर –'C' की छायाप्रति सलंग्न है)**

45— विधि के अंतर्गत विशेषज्ञों का प्रतिवेदन प्रकरण के निराकरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है, किन्तु विशेषज्ञ का अभिमत (Opinion) मात्र होता है और उपरोक्त अभिमत को निश्चियक (Conclusive) नहीं होता है और घटना के संबंध में अन्य परिस्थितियों पर विचार किया जाना भी आवश्यक है। प्रश्नाधीन प्रकरण में दो चिकित्सकों की टीप द्वारा शव परीक्षण के दौरान मृतिका कु0 मीना खलखो की योनी में वीर्य होना पाया गया तथा उसे संभोग का आदी होना भी पाया गया है। मृतिका की योनी में वीर्य का पाया जाना यह इंगित करता है कि घटना दिनांक को उसके साथ सहवास हुआ

था। उक्त सहवास बलात् होने की स्थिति अधिक प्रबल दृष्टिगोचर होती है, क्योंकि मृतिका के शरीर पर बन्दूक की गोलियों की चोट के अलावा अन्य गंभीर चोटें भी मौजूद हैं। शव परीक्षण के दौरान लंग्स, फेफड़ों में खून के धब्बे कटी–फटी चोट के कारण होना पाये गये हैं तथा साथ ही सातवीं रिव्य में अस्थि भंग होना पाया गया है जो यह दर्शाता है कि मृतिका कु0 मीना खलखो पर शारीरिक बल का प्रयोंग कर सहवास किया गया है, किन्तु योनी स्त्राव से तैयार स्लाईड एवं मृतिका के कपड़ों पर पाये जाने वाले वीर्य एवं मानव शुक्राणुओं के संबंध में डी0एन0ए0प्रोफाईल के संबंध में कोई अभिमत न होने की स्थिति में यह निर्धारण संभव नहीं है कि बलात् सहवास किसी एक व्यक्ति विशेष या एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा किया गया है।

46– **यह निर्विवादित तथ्य है कि दिनांक 05/07/11 एवं 06/07/11 की दरमियानी रात में कु0 मीना खलखो को छोड़ अन्य कोई भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई और न ही कोई घायल हुआ है।**

47– **अतः, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या कु0 मीना खलखो नक्सली थी या नक्सली गतिविधियों में संलग्न थी ?** तत्संबंध में मृतिका के माता–पिता व अन्य ग्रामवासियों का कथन यह है कि मृतिका कु0 मीना खलखो घटना के बहुत पहले पढ़ाई छोड़ चुकी थी और घरेलू कार्य किया करती थी। वह नक्सली नहीं थी। तत्संबंध में शासन की ओर से प्रस्तुत साक्षी कमांक–1 निकोदीन खेस जो घटना दिनांक को उपनिरीक्षक थाना चांदो के पद पर कार्यरत था, की यह स्वीकारोक्ति कि उसके तीन वर्ष के थाना चांदो के कार्यकाल के दौरान कु0 मीना खलखो का नाम नक्सली गतिविधियों में आलिप्त होने के संबंध में प्रकट नहीं हुआ था, महत्वपूर्ण है। साक्षी का यह कथन कि वह यह नहीं बता सकता कि मृतिका नक्सली थी या नहीं। नक्सली गतिविधियों में आलिप्त होने वाले व्यक्तियों/नक्सलियों की सूची पुलिस अधीक्षक कार्यालय में संधारित होती है (कंडिका–31)। शासन की ओर

से प्रस्तुत साक्षी कमांक–2 प्रधान आरक्षक महेश कुमार वर्ष 2006 से 2011 तक थाना चांदो में पदस्थ रहा है। साक्षी का कंडिका–15 का यह कथन महत्वपूर्ण है कि उसकी लगभग पांच साल की पदस्थापना के दौरान मीना खलखो का नक्सली के रूप में कभी भी नाम उसके सामने नहीं आया। साक्षी का यह कथन है कि नक्सली नेताओं के संबंध में थाने में जानकारी रहती है। तदानुसार पुलिस के उक्त दोनों साक्षियों को घटना दिनांक तक कु0 मीना खलखों के नक्सली होने या नक्सली गतिविधियों में संलग्न होने की कोई जानकारी नहीं थी।

48– साक्षी निकोदीन खेस का कथन है कि मुठभेड़ के पश्चात प्रातः घटनास्थल की तलाशी ली थी और तब उसे नक्सली एम्बुश की जगह पर एक घायल लड़की दिखाई दी थी जिससे पूछताछ करने पर उसने अपना नाम मीना पुत्री बुधेश्वर उरांव ग्राम करचा बताया था और यह बताया था कि पुलिस और नक्सलियों के बीच होने वाली गोली बारी में उसे गोली लगी है (शपथ पत्र की कंडिका–14)। घटनास्थल पर मौजूद साक्षी प्रधान आरक्षक महेश कुमार का कंडिका– 11 में यह कथन है कि घटना के बाद सुबह उजाला होने पर नक्सलियों के एम्बुश की जगह पर एक लड़की घायल अवस्था में पड़ी दिखाई दी थी जिसके पास थाना प्रभारी श्री खेस ने जाकर पूछताछ की थी। **उक्त साक्षी के द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि पूछताछ के दौरान घायल लड़की के द्वारा थाना प्रभारी को स्वतः के बारे में क्या जानकारी दी गई थी।**

49– शासन की ओर से साक्षी नवेल भगत का शपथ पर कथन प्रस्तुत किया गया है (किन्तु उक्त साक्षी को प्रतिपरीक्षण के लिए उपस्थित करने में लोक अभियोजक असफल रहे हैं) जिसकी कंडिका–6 में यह अभिलिखित है कि चेड़रा नदी के किनारे एक लड़की घायल अवस्था में पड़ी थी जिसे पुलिस ने उसके सामने सफेद रंग की गाड़ी में लिटाकर इलाज के लिए चांदो अस्पताल भेज दिया था। उक्त साक्षी

का इस संबंध में कोई कथन नहीं है कि जिस वक्त प्रातः उसने घायल अवस्था में लड़की को देखा उस समय श्री निकोदीन खेस ने घायल लड़की से पूछताछ की और उस लड़की के द्वारा स्वयं को नक्सलियों के साथ होना बताया। तद्नुसार उपनिरीक्षक निकोदीन खेस के इस कथन कि घायल लड़की ने पूछने पर स्वयं का नाम और नक्सली होना बताया था की पुष्टि घटनास्थल पर मौजूद पुलिस कर्मी एवं स्वतंत्र ग्रामवासी के द्वारा नहीं की गई है।

50— उल्लेखनीय यह भी है कि चिकित्सकों की टीम द्वारा किये गये शव परीक्षण में दर्शित मृत्यु समय की पृष्ठभूमि में मृतिका की मृत्यु दिनांक 05/07/2011 एवं 06/07/2011 की दरमियानी रात में 1.45 बजे से लेकर 5.45 बजे के मध्य हुई थी। अतः, उक्त संभावित समय को दृष्टिगत रखते हुए प्रातः घायल लड़की के बोलने की स्थिति में होने एवं किसी भी प्रकार की जानकारी उपनिरीक्षक निकोदीन खेस को दिये जाने का तथ्य संदेहास्पद है। विशेषकर उन परिस्थितियों में जबकि मौके पर मौजूद पुलिस कर्मी महेश कुमार एवं ग्रामवासी नवेल के द्वारा साक्षी निकोदीन खेस को मृतिका द्वारा बताये गये तथ्यों के संबंध में कोई कथन नहीं किया गया है।

51— साक्षी उपनिरीक्षक निकोदीन खेस 3 वर्षो तक एवं साक्षी प्रधान आरक्षक महेश कुमार 5 वर्षो तक थाना चांदो में पदस्थ रहे है, ग्राम करचा जहां कि मृतिका निवासी थी थाना चांदों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत है। उक्त परिस्थितियों में इतनी लम्बी अवधि तक मृतिका के नक्सली गतिविधियों की जानकारी का पुलिस को न होना भी इस ओर इंगित करता है कि कु0 मीना खलखो किसी प्रकार की नक्सली गतिविधियों में संलग्न नहीं थी। आयोग के समक्ष पुलिस विभाग या अन्य माध्यम द्वारा प्रस्तुत जानकारी के द्वारा ऐसे कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किये गये है जिससे यह स्थापित हो सके कि मृतिका कु0 मीना खलखो स्वयं नक्सली थी या नक्सलियों का सहयोग किया करती थी।

52— दिनांक 05/07/2011 एवं 06/07/2011 की दरमियानी रात में नक्सलियों एवं पुलिस के मध्य मुठभेड़ के संदर्भ में साक्षी निकोदीन खेस, उपनिरीक्षक का कथन है कि पुलिस मुख्यालय, रायपुर से पुलिस अधीक्षक कार्यालय में यह सूचना प्राप्त हुई थी कि नक्सलियों के द्वारा 04/07/11 से **विरोध सप्ताह** मनाने की घोषणा की गई थी और इसी सूचना के तारतम्य में मुखबिर से यह सूचना प्राप्त हुई थी कि नक्सली कमाण्डर वीरसाय के साथ 30—35 लोगों का दस्ता चांदो इलाके में घुसा है और किसी गंभीर वारदात को अंजाम दे सकता है। साक्षी के कथनानुसार वह स्वयं अपने अन्य 24 अधिकारियों और कर्मचारियों जिसमें छ0ग0सश्त्र बल के अधिकारी/कर्मचारी भी शामिल थे रात्रि 10.30 बजे सर्चिंग /गश्त में रवाना हुए तथा जंगली रास्ते से रेगड़ नदी और कन्हड़ नदी के संगम स्थान पर 12.30 बजे पहुंचे और 2.00 बजे तक वहीं पर रूककर नक्सलियों की आहट लेते रहे। **साक्षी का कथन है कि थाना चांदो से रेगड़ नदी और कन्हर नदी के संगम की दूरी 9 से 10 किलामीटर की है।** साक्षी का यह कथन है कि 2.00 बजे के बाद झाड़, खेत नाले की सर्चिंग करते हुए नवाडीह खार होकर ग्राम करचा की तरफ बढ़ते हुए चेड़रा नदी के किनारे पुलिस बल रात 3.00 बजे पहुंचा था। **साक्षी का यह कथन है कि रेगड़ नदी कन्हर नदी के संगम से ग्राम नवाडीह की दूरी 6—7 किलो मीटर की है।** साक्षी का कथन है कि जब नवाडीह करचा रोड पर थे उसी समय 3.15 बजे पूर्व दिशा की ओर से पुलिस पार्टी पर फायरिंग हुई। नक्सली हमले की आशंका को भांपकर उसने पुलिस पार्टी को मकान और पेड़ों की आड़ में पोजिशन लेने के निर्देश दिये। साक्षी का कथन है कि उसने नक्सलियों को आत्मसमर्पण के लिए ललकारा किन्तु फायरिंग बंद न होने पर उसने स्वयं और उसके अन्य दो पुलिस कर्मियों ने उसी दिशा में जहां से फायरिंग की जा रही थी जवाबी फायरिंग की।

53– साक्षी निकोदीन खेस के शपथपूर्ण कथनानुसार उसके और नक्सलियों के बीच 75 से 100 मीटर की दूरी रही होगी। साक्षी के कथनानुसार घटना रात के समय की थी और अंधेरा था। नक्सलियों के नदी के किनारे से भागने का आभास होने वाले हल्ले के आधार पर समझ में आ रहा था, प्रत्यक्षतः उनको भागते हुए नहीं देखा जा सक रहा था। **साक्षी का कथन है कि मुठभेड़ में किसी भी पुलिस कर्मी को चोट नहीं आई थी और न ही कु0 मीना खलखो के आहत होने के अलावा अन्य किसी नक्सली के हताहत होने की जानकारी मिली थी।** पुलिस पार्टी में शामिल प्रधान आरक्षक महेश कुमार कमांक–196 के कथनानुसार 05/07/2011 को चेकरोल कॉल बजने पर सभी पुलिस कर्मी और अधिकारी थाने पर एकत्रित हुए थे जहां उपनिरीक्षक निकोदीन खेस ने 30–35 की संख्या में नक्सली दस्ता वीरसाय कमाण्डर के साथ थाना चांदो क्षेत्र में झारखण्ड सीमा से घुस आने की जानकारी दी थी। वह पुलिस सर्चिंग/गश्त पुलिस पार्टी के साथ रात 10.30 बजे दिनांक 05/07/11 को पैदल रवाना हुआ था। पुलिस पार्टी 12.30 बजे से 2.00 बजे तक रात्रि रेगड़ नदी और कन्हड़ नदी के संगम स्थान पर रूकी हुई थी और लगभग 3.00 बजे ग्राम नवाडीह के चेड़रा नदी के किनारे पहुंची थी।

54– साक्षी निकोदीन खेस, उपनिरीक्षक के शपथपूर्ण कथनानुसार थाना चांदो से कन्हड़ नदी एवं रेगड़ नदी के संगम की दूरी 9 से 10 किलोमीटर की है और संगम से घटनास्थल की दूरी 6 से 7 किलोमीटर की है। साक्षी के कथनानुसार रात्रि 10.30 बजे थाना से प्रारम्भ होकर नदी संगम स्थल पर रात्रि 12.30 बजे पुलिस पार्टी पहुंची थी और उक्त स्थान पर 2.00 बजे तक रूकी रही। साक्षी के स्वयं के कथनानुसार 9 से 10 किलोमीटर की दूरी पुलिस पार्टी ने सर्चिंग के दौरान मात्र 2 घंटे में तय की थी और इसी प्रकार 6 से 7 किलोमीटर की दूरी नदी संगम स्थल से नवाडीह की मात्र 1 घंटे में

तय की। उल्लेखनीय है कि 25 पुलिस अधिकारी/कर्मचारी जंगली रास्ते से होकर सर्चिंग/गश्त के लिए पैदल रवाना हुए थे, अतः, उनके चलने की रफ्तार अत्यंत ही धीमी एवं सावधानीपूर्वक होना आवश्यक था, क्योंकि पुलिस पार्टी के गश्त या सर्चिंग में होने की जानकारी निश्चित ही तौर पर किसी को ज्ञात न हो, इस आशय से की जाती है। नक्सलियों की सर्चिंग हेतु पुलिस पार्टी का पैदल 9 से 10 किलोमीटर 2 घंटे में पहुंचना एवं 6 से 7 किलोमीटर की दूरी मात्र 1 घंटे में तय करना विशेषकर रात्रि समय स्वाभाविक नहीं लगता है। अतः, स्वीकार योग्य तथ्य नहीं है।

55— साक्षी निकोदीन खेस के कथनानुसार उसने प्रातः एम्बुश स्थान की तलाशी के दौरान एक नग भरमार बन्दूक, हरे और काले रंग के बैग जिसमें नक्सली साहित्य, डेटोनेटर एवं बारूद इत्यादि था जप्त किया। मौके से ही मोबाईल विंग कम्पनी का जप्त किया, जिसका सिम नम्बर 9801332134 था। अपने जवानों से एम्यूनेशन का हिसाब लिया, तब उसने पाया कि उसने स्वयं अपनी ए0के0—47 से 6 राउंड फायर किये थे। बारवीं बटालियन के आरक्षक कमांक— 193 जीवन लाल ने अपने एस0एल0आर0 से एक राउंड फायर किया था और आरक्षक कमांक 203 धरमलाल ने अपनी एस0एल0आर0 से 4 राउंड फायर किये थे। मौके पर ए0के0—47 के चार खाली खोखे तथा एस0एल0आर0 के 5 खाली खोखे मौके पर पाये गये थे, जिन्हें जप्त किया गया। पुलिस के हथियारों के अलावा एम्बुश स्थान से राजकुमार गुप्ता के निर्माणाधीन मकान के पीछे से एस0एल0आर0 के 4 नग खाली खोखे, पलाश के पेड़ के पास से 115 बोर बन्दूक का एक नग खाली खोखा तथा उससे 15 कदम की दूरी पर ए0के0—47 रायफल का एक नग खाली खोखा भी मिला था जिसे जप्त किया गया।

56— साक्षी का कथन है कि मौके से जो मोबाईल प्राप्त हुआ था वह उस गवाह का था जिसने लड़की को उठाने में मदद की थी।

साक्षी का कथन है कि उक्त मोबाईल के कॉल डिटेल उसके द्वारा नहीं निकलवाये गये थे। साक्षी निकोदीन खेस ने यद्यपि कॉल डिटेल नहीं निकालने का कथन किया है, किन्तु थाना चांदों में दर्ज अपराध 25/11 की पुलिस डायरी का अवलोकन करने पर देखा गया कि 01 अप्रेल, 2001 से 06 जुलाई, 2011 के बीच के कम्प्यूटरीकृत कॉल डिटेल (मोबा. नम्बर 9801332134) **बिहार एवं झारखण्ड सर्कल भारतीय एयरटेल लिमिटेड से निकलवाये गये हैं। उक्त मोबाईल सिम का मालिक ब्रम्हदेव प्रजापति नामक व्यक्ति है।**

57– साक्षी निकोदीन खेस के द्वारा जप्त भरमार बन्दूक व अन्य सामग्री का परीक्षण **किये जाने के संबंध में आर्मोरर साक्षी रामेश्वर सांवरा प्रधान आरक्षक कमांक 152 का कथन यह है कि परीक्षण के उपरांत 16/07/2011 को (घटना दिनांक से 10 दिन पश्चात) रिपोर्ट तैयार की थी** और यह पाया था कि उक्त बन्दूक स्थानीय स्तर पर तैयार की गई थी। बारूद के गंध के आधार पर उक्त बन्दूक से गोली चलाई गई थी जो कि परीक्षण दिनांक से 1 माह के अंदर फायर का किया जाना इंगित कर रहा था (शपथ पत्र की कंडिका–7)। प्रतिपरीक्षण के दौरान साक्षी का यह कथन है कि एक माह की अवधि कम या ज्यादा भी हो सकती थी। तद्नुसार बन्दूक दिनांक 16/06/2011 से 16/07/2011 के मध्य चलाई गई थी। उल्लेखनीय है कि उक्त बन्दूक की कोई वैज्ञानिक/तकनीकी जांच नहीं कराई गई है, केवल आर्मोरर के द्वारा भौतिक परीक्षण के आधार पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। जप्ती दिनांक से 10 दिन पश्चात उक्त भरमार बन्दूक की जांच आर्मोरर के द्वारा की गई है। उक्त परिस्थितियों में बन्दूक से फायर का किया जाना मात्र यह इंगित नहीं करता है कि दिनांक 05/07/2011 एवं 06/07/2011 की दरमियानी रात को उसका प्रयोग किया गया है, क्योंकि स्वयं परीक्षण करने वाले आर्मोरर के अनुसार एक माह के भीतर उसका उपयोग

किया गया है। साक्षी की यह स्वीकारोक्ति है कि उसे भरमार बन्दूक के अलावा कुल 6 खाली खोखे और 2 डेटोनेटर जांच के लिए भेजे गये थे, इन वस्तुओं के अलावा 12 छर्रे एवं बारूद भी जांच के लिए भेजी गई थी। साक्षी के कथन से यह स्पष्ट है कि जांच हेतु वहीं सामग्री भेजी गई थी जो कि घटनास्थल से जप्त की गई थी। पुलिस एम्यूनेशन एवं उससे संबंधित खाली खोखों की जांच नहीं कराई गई थी।

58— साक्षी निकोदीन खेस एवं प्रधान आरक्षक महेश कुमार के कथनानुसार 25 अधिकारियों और कर्मचारियों की पुलिस पार्टी में से केवल 3 पुलिस कर्मियों ने उस दिशा में फायरिंग की थी जहां से नक्सली फायर कर रहे थे, शेष 22 पुलिस कर्मियों के द्वारा कोई फायरिंग नहीं की गई। जबकि उक्त दोनों ही पुलिस कर्मियों के कथनानुसार नक्सली 30 से 35 की संख्या में थे और लगातार पुलिस पार्टी पर फायर कर रहे थे। **30 से 35 नक्सलियों** के द्वारा लगातार फायरिंग करने के पश्यात मौके से मात्र एस0एल0आर0 के 4 नग खाली खोखे, 115 बोर बन्दूक का एक खाली खोखा और ए0के047 रायफल का एक नग खाली खोखा अर्थात 6 खाली खोखे राजकुमार गुप्ता के निर्माणाधीन मकान के पीछे से बरामद किये गये। जबकि 3 पुलिस कर्मियों के द्वारा मात्र फायरिंग किये जाने पर 9 खाली खोखे मौके पर पाये गये। उक्त परिस्थितियों में साक्षी निकोदीन खेस एवं महेश कुमार का यह कथन कि 30 से 35 नक्सली लगातार पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर रहे थे स्वीकार किये जाने योग्य तथ्य नहीं है।

59— निर्विवादित तथ्य यह है कि घटना के समय अंधेरा था तथा सर्चिंग लाईट का प्रयोग कर पुलिस पार्टी सर्चिंग कर रही थी। घटना के पश्चात थाना चांदो में दर्ज अपराध क्रमांक 25/11 की डायरी में संलग्न घटनास्थल का मानचित्र (निरीक्षण, अनुप एक्का थाना प्रभारी, बलरामपुर द्वारा दिनांक 07/07/11 को तैयार किया हुआ) का

अवलोकन किया गया। घटनास्थल सड़क है जिसकी पूर्व दिशा में चेड़रा नदी है और उसी से लगकर नक्सलियों की उपस्थिति दशाई गई है तथा सड़क की दूसरी ओर पुलिस पार्टी की मौजूदगी दशाई गई है। पुलिस पार्टी जिस स्थान पर थी वहां अनेक खेत है तथा नक्सलियों की उपस्थिति के स्थान पर अनेक पेड़ है। नक्सलियों की उपस्थिति स्थान पर राजकुमार गुप्ता का मकान दर्शाया गया है (एम), जिसके पीछे से 6 खाली खोखे साक्षी निकोदीन खेस के द्वारा जप्त करना बताया गया है। नक्शे में कु0 मीना खलखो के घायल अवस्था में पड़े होने के स्थान को दर्शाया गया है जिसकी दूरी पलाश पेड़ से 10 फीट बतायी गयी है। राजकुमार गुप्ता के निर्माणाधीन मकान से वह स्थान की दूरी जहां कि कु0मीना खलखो पड़ी हुई थी की दूरी लगभग 60 मीटर होना पुलिस अधीक्षक, बलरामपुर के द्वारा सहायक पुलिस महानिरीक्षक अपराध अनुसंधान विभाग को पत्र दिनांक 15/08/11 के द्वारा बताया गया है अर्थात रामकुमार गुप्ता के मकान से कु0 मीना खलखो जिस स्थान पर पड़ी थी उस स्थान की दूरी लगभग 180 फीट थी।

60— घटना मध्य रात्रि के बाद की है जिस समय पूर्णतः शांति थी और ऐसी स्थिति में चोटग्रस्त व्यक्ति के द्वारा बगैर शोर किये 3—4 घंटे तक घटनास्थल पर ही पड़े रहने का तथ्य अस्वाभाविक है। उल्लेखनीय यह भी है कि अगर वास्तव में मृतिका कु0 मीना खलखो नक्सली थी या नक्सली गतिविधियों में संलग्न रहती थी, तो उसके द्वारा गोली लगने के पश्चात स्वतः को उस स्थान से हटाने का प्रयास अवश्य किया जाता। उक्त परिस्थिति भी यह दर्शाती है कि मृतिका कु0 मीना खलखो प्रातः समय तक जीवित नहीं थी।

61— उपनिरीक्षक साक्षी निकोदीन खेस के कंडिका— 28 के कथनानुसार उसके और नक्सलियों के बीच 75 — 100 मीटर की दूरी थी। साक्षी ने कंडिका— 33 में यह स्वीकार किया है कि मुठभेड़ में

किसी भी पुलिस कर्मी को चोट नहीं आई। साक्षी की यह भी स्वीकारोक्ति है कि पुलिस कर्मियों को गोली चलाने का आदेश उसके द्वारा ही दिया गया था। 30 से 35 नक्सलियों के द्वारा पुलिस पार्टी पर लगातार फायरिंग करने के पश्चात किसी भी पुलिस कर्मी को चोट का न आना इस तथ्य के प्रति संदेह उत्पन करता है कि 30 से 35 नक्सली के द्वारा लगातार पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। उपनिरीक्षक निकोदीन खेस द्वारा इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि पुलिस पार्टी पर नक्सलियों द्वारा फायरिंग किये जाने पर भी उसने और उसके दो सिपाहियों मात्र ने जवाबी फायरिंग क्यों कि तथा शेष के द्वारा फायरिंग क्यों नहीं की गई। **जबकि साक्षी ने कंडिका–12 में यह कथन किया है कि उसने पुलिस जवानों को आत्मरक्षा में नक्सली पार्टी पर फायरिंग करने का आदेश दिया था।** साक्षी का कथन है कि जिस ओर से उनकी तरफ गोलियां आ रही थी उसी दिशा में पुलिस के द्वारा फायरिंग की गई थी। अनुसंधान के दौरान तैयार नक्शे में ए,बी,सी स्थान पर साक्षी निकोदीन खेस, प्रधान आरक्षक महेश कुमार व एक अन्य पुलिस कर्मी की पोजिशन दर्शाई गई है और इन्हीं तीन लोगों के द्वारा जवाबी फायरिंग की गई, शेष पुलिस कर्मियों के संबंध में कोई उल्लेख नक्शे में नहीं है। **(नक्शा एनेक्जर –'D' की छायाप्रति सलंग्न है)**

62– नक्शे में स्थान एम0 राजकुमार गुप्ता का निर्माणाधीन मकान है जिसके पीछे से नक्सलियों के द्वारा की गई फायरिंग के खाली खोखे बरामद किये गये है। अतः, उक्त स्थान से ही पुलिस पार्टी पर फायरिंग होना मान्य किया जा सकता है। जबकि एम0 स्थान से मृतिका कु0 मीना खलखो के पड़े होने के स्थान की दूरी 60 मीटर (लगभग 180 फीट) है। राजकुमार गुप्ता के घर के पीछे के अलावा अन्य किसी स्थान से नक्सलियों द्वारा प्रयुक्त हथियारों के खाली खोखे बरामद नहीं हुए हैं। नक्शे में दर्शित स्थिति की पृष्ठभूमि में स्थान

ए,बी,सी पर पोजिशन लिये हुए पुलिस कर्मियों की तुलना में शेष पुलिस पार्टी नक्सली एम्बुश स्थान (राजकुमार गुप्ता का निर्माणाधीन मकान) से अधिक निकट थे, किन्तु उनके द्वारा आत्मरक्षा में कोई फायरिंग का न किया जाना भी पुलिस–नक्सली मुठभेड़ के तथ्य को संदिग्ध दर्शाता है।

63– आरक्षी केन्द्र, चांदों में पंजीबद्ध अपराध क0 25/11 के अनुसंधान के दौरान विधि विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर से मृतिका की चड्डी, स्कर्ट, डुप्टा, गमछा, शर्ट, बनियान, परीक्षण के लिए प्रस्तुत किया गया है। वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी एवं सहायक रासायनिक परीक्षक राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर के द्वारा परीक्षण के उपरांत दिनांक 27/08/2011 को यह पाया गया है कि :–

वस्त्रों पर 0.5 से.मी. गुणा 0.5 से.मी. (स्कर्ट पर सामने की ओर), 4.5 से.मी. गुणा 4.2 से.मी. (स्कर्ट में पीछे की ओर) छेद पाया गया है।

डुपट्टे पर मध्य भाग में 3 छेद पाये गये हैं जो कि 0.9 से.मी. गुणा 0.9 से.मी. आकार के कमशः हैं। आधी बाह की शर्ट पर 2 छेद पाये गये हैं जो 0.6 से.मी. गुणा 0.5 से.मी. एवं 1.5 से.मी. गुण 0.6 से.मी. के हैं।

गहरे भूरे रंग की बनियान (समीज) पर 2 छेद पाये गये हैं, जिनका 1 गुणा 0 से.मी. गुणा 0.5 से.मी. एवं 1. 5 से.मी. गुणा 0.7 से.मी. कमशः है।

कत्थे रंग के अण्डरवीयर के सामने 1 छेद 0.6 से. मी. गुणा 0.5 से.मी. का पाया गया है तथा पीछे की तरफ मध्य भाग में 4.0 से.मी. गुणा 1.5 से.मी. का छेद पाया गया है।

उपरोक्त सभी वस्त्रों पर खून के धब्बे हैं तथा सभी वस्त्रों पर कॉपर जैकेटेड बुलेट के आघात से छेद निर्मित हुए हैं। रेंज आफ फायरिंग मृतिका के सामने कपड़े से आग्नेय सश्त्र की टेटुइंग सीमा से अधिक दूर है। (एफ0एस0एल0 रायपुर प्रतिवेदन एजेक्जर – 'E' की छायाप्रति संलग्न है)।

64– विधि विज्ञान प्रयोगशाला के द्वारा परीक्षण पर मृतिका के कपड़ों पर पाये जाने वाले कॉपर जैकेटेड बुलेट के आधात यह स्पष्ट करते हैं कि मृतिका को लगने वाली गोलियां भरमार बन्दूक से नहीं चलाई गई थी, वरन् ए0के0–47, एस0एल0आर0 इत्यादि जैसे आयुधों से चलाई गई थी। उल्लेखनीय है कि पुलिस पार्टी के द्वारा फायरिंग के लिए ए0के0–47 एवं एस0एल0आर0 जैसे आयुधों का प्रयोग किया गया है। नक्सलियों द्वारा भी इन्हीं प्रकार के आयुधों से फायरिंग का किया जाना पुलिस साक्षियों ने अपने कथनों में स्पष्ट किया है, किन्तु मृतिका को लगनी वाली गोली नक्सलियों की फायरिंग के फलस्वरूप होने संबंधी कोई तथ्य प्रकरण में विद्यमान नहीं है, क्योंकि मृतिका कु0 मीना खलखो जिस स्थान पर पड़ी होना पाई गई है उस दिशा में नक्सलियों के द्वारा फायरिंग का किया जाना साक्षी निकोदीन खेस, उपनिरीक्षक एवं प्रधान आरक्षक महेश कुमार के द्वारा बयान के दौरान स्पष्ट नहीं किया गया है।

विधि विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर को प्रेषित आग्नेय सश्त्र DIRECTORATE OF FORENSIC SCIENCE, Gandhinagar, Gujarat को भी प्रेषित किये गये है, जिसकी प्रतिवेदन दिनांक 27/02/2012 में इस तथ्य की पुष्टि की गई है कि मृतिका के शरीर पर पाये जाने वाली बन्दूक की चोटें एस0एल0आर0रायफल से पहुंचाई गई हैं अर्थात भरमार बन्दूक से कोई चोट मृतिका को कारित नहीं की गई है। उल्लेखनीय है कि एस0एल0आर0रायफल का प्रयोग घटना दिनांक को पुलिस द्वारा किया जा रहा था। (**DIRECTORATE OF FORENSIC**

SCIENCE, Gandhinagar, Gujarat का प्रतिवेदन एजेक्टर– 'F' संलग्न है)

65– विधि विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर में यह प्रतिवेदित किया गया है कि रेंज ऑफ फायरिंग मृतिका के सामने कपड़े से आग्नेय सश्त्र की टेटूइंग सीमा से अधिक दूर है। मृतिका कु0 मीना खलखो को आने वाली चोटें रायफल्ड वैपॅन (Rifled Weapons) से कारित हुई है तथ ऐसे आयुधों से आने वाली चोटों की रेंज (Range) के निर्धारण के संबंध में एच.डब्ल्यू.वी. कॉक्स के द्वारा मेडिकल ज्यूरिसप्रूडेंस एवं टॉक्सीकॉलाजी, 5th Edition की किताब में पृष्ठ कमांक 283 पर निम्नानुसार स्पष्ट किया गया है :–

Rifled Weapons

Contact wounds show tearing of tissue in a cruciate or stellate manner if underlying tissues are firm e.g. over skull or sternum. Bruising of the surrounding skin by the impact of the muzzle is frequent, also localized peripheral burning and flame effects. As with a shot-gun, the latter may be absent or slight if the gun is pressed very firmly agaist the skin. In these cases the tearing may be severe, as the gas raise a large dome under the skin which then ruptures, especially if bone of firm tissues provide deep resistance to the gases. Carbon monoxide is found in the tissues and there is frequently an exit wound unless bone is struck

within the body. The contact wound is almost always larger than the bullet except over soft areas such as the abdomen.

Near- contact wounds are small. There is less likelihood of the ripping of the margins unless the muzzle is very nearly in contact with the skin supported by bone. Extensive blackening and powder tattoing are present if black powder propellent is used. Alternatively fragments of nitro-compounds may be found on the skin from modern propellents. An abrasion collar and grease ring are present, as are flame effects with singeing of the hair, burning of the skin and carbon monoxide in the tissues.

At close range, up to one to two feet (30-60 cms) there are decreasing heat effects, smoke soiling and powder tattoing. Singeing of hairs is unlikely. The wound is small and no gas effects are seen.

At intermediate range from two feet (60 cms) up to the effective range of the weapon, the entrance wound is small with regular margins, grease ring and abrasion colar. There are no macroscopic or chemically detectable residues on the skin and no burning or singeieg.

At extreme range, entrance wounds may be irregular due to tumbling of the bullet and may be indistinguishable from typical exit wounds. The kinetic energy of the bullet may have fallen so much by this time that there is no exit wound and the bullet may be found within the body.

66— शव परीक्षण रिपोर्ट दिनांक 06/07/2011 के अनुसार दोनों प्रवेश चोट आधे से.मी. डाया मीटर की होना पाई गई है, जिनकी निकासी चोटें ढाई गुणा दो गुणा डेढ़ से.मी. तथा डेढ़ गुणा एक गुणा डेढ़ से.मी. की है। उक्त दोनों प्रवेश चोटों पर टेटुइंग का न होना एच. डब्ल्यू.वी. कॉक्स के अनुसार यह दर्शाता है कि 2 फीट की अधिक दूरी से बन्दूक चलाई गई है। कॉक्स के द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि अत्यधिक रेंज से फायर किये जाने की स्थिति में प्रवेश चोट अनियमित होती है तथा उक्त बुलेट की शक्ति शरीर पर टकराने पर इतनी नहीं रह जाती कि वह शरीर से बाहर जा सके और ऐसी स्थिति में निकासी चोट न होकर बुलेट शरीर के अंदर ही रह जाती है। रेंज का विभाजन निम्नलिखित अनुसार होता है :—

Shotgun Wonds.

a- Range may be divided into contact,
b- Near- contact.
c- Moderate range and
d- Distant range.

67— एच.डब्ल्यू.वी.कॉक्स ने अपने पांचवे एडीशन में पृष्ठ क्रमांक 283 में यह स्पष्ट किया है कि Near- contact एक फीट की दूरी 30 से0मी0 से कारित की जाती है। Moderate range 1 से 5 मीटर एवं Distant range 5 मीटर से अधिक माना जाता है।

68— मृतिका कु0 मीना खलखो घटना के समय कपड़े पहने हुई थी तथा उसके शरीर पर प्रवेश एवं निकासी चोटें पाई गई है। अतः, एच.डब्ल्यू.वी. कॉक्स की थ्योरी के अनुसार Distant range से मृतिका पर गोली नहीं चलाई गई है, क्योंकि उक्त स्थिति में निकासी चोट होना पाई नहीं जाती है। साक्षी निकोदीन खेस के अनुसार फायरिंग के समय नक्सलियों की दूरी पुलिस पार्टी से 75 से 100 मीटर की थी अर्थात 225 से 300 फीट की दूरी थी जो निश्चित तौर पर Distant range की श्रेणी में आता है। मृतिका कु0 मीना खलखो के शरीर पर प्रवेश और निकासी चोटों की स्थिति यह इंगित करती है कि उस पर Moderate range अर्थात 1 से 5 मीटर की दूरी से फायर किया गया है। मेडिको लीगल सांईन्स के अनुसार Moderate range से फायर किये जाने की स्थिति में फायर के कारण आने वाला धुंए के निशान अनुपस्थित रहते हैं तथा टेटुइंग नग्न आंखों से नहीं देखी जा सकती है। टेटुइंग की पुष्टि के लिए इन्फ्रा रेड फोटोग्राफी या मेग्नीफिकेशन के द्वारा देखा जाना आवश्यक है, ऐसी चोट से चमड़ी का स्वाब या नमूना लिया जाकर रासायनिक परीक्षण प्रयोगशाला में किया जाना आवश्यक है। टैटूइंग संबंधी अभिमत आधुनिक (Advanced) वैज्ञानिक जांच पर आधारित नहीं है। अतः, उसे अंतिम अभिमत के रूप में मान्य नहीं किया जा सकता।

69— कु0 मीना खलखो के पोस्टमार्टम के दौरान चिकित्सों की टीम के द्वारा प्रवेश चोट के स्थान की चमड़ी बतौर नमूना सुरक्षित नहीं रखी गई हैं और न ही तत्संबंध में विधि विज्ञान प्रयोगशाला के द्वारा

चमड़ी का कोई रासायनिक परीक्षण किया गया है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर के प्रतिवेदन दिनांक 27/08/2011 के अनुसार मृतिका कु0 मीना खलखो के कपड़ों के परीक्षण के आधार पर यह अभिमत दिया गया है कि सामने कपड़े से सश्त्र टेटुइंग सीमा से अधिक दूर से प्रयोग किया गया है, किन्तु उपरोक्त अभिमत में अनुमानतः दूरी का कोई उल्लेख नहीं है। जैसा कि उपर वर्णित किया गया है कि Moderate range की दूरी 1 से 5 मीटर की है और ऐसी स्थिति में भी टेटुइंग कारित नहीं होता है इसलिए वरिष्ठ वैज्ञानिक के द्वारा मात्र यह कह देना कि टेटुइंग सीमा से रेंज आफ फायरिंग अधिक दूर है पर्याप्त नहीं है।

70— विशेषज्ञों के प्रतिवेदन एवं साक्षियों के कथन के आधार पर मृतिका कु0 मीना खलखो पर फायरिंग का रेंज 75 से 100 मीटर न होकर उससे कम था। तद्नुसार मृतिका कु0 मीना खलखो को कारित आग्नेय सश्त्र की चोट 75 से 100 मीटर की दूरी से कारित किया जाना प्रमाणित नहीं है। कु0 मीना खलखो का घटना दिनांक को नक्सली होना भी प्रमाणित नहीं है। कु0 मीना खलखो के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति की घटना दिनांक को न तो मृत्यु हुई और न ही कु0 मीना खलखो को छोड़कर अन्य कोई व्यक्ति घायल हुआ।

71— उपरोक्त विवेचना की पृष्ठभूमि में दिनांक 06/07/2011 को थाना चांदो, अंतर्गत ग्राम नवाडीह, चेड़रानाला के किनारे कु0 मीना खलखो की मृत्यु पुलिस मुठभेड़ के फलस्वरूप नहीं हुई थी। उक्त घटना में कु0 मीना खलखो के अलावा अन्य किसी व्यक्ति की न तो मृत्यु हुई और न ही कोई घायल हुआ। घटना के समय कु0 मीना खलखो नक्सली गतिविधियों में संलग्न नहीं थी और न ही नक्सली थी। कु0मीना खलखो की मृत्यु के लिए पुलिस जिम्मेदार है, किन्तु पुलिस का यह कहना कि मुठभेड़ के दौरान मृतिका को गोली लगी है, स्वीकार योग्य तथ्य नहीं है।

बिन्दु कमांक– 5

72– शासकीय अभिभाषक के द्वारा प्रस्तुत लिखित तर्क में यह स्पष्ट किया गया है कि पूर्व अविभाजित सरगुजा जिले में नक्सली समस्या नहीं थी, किन्तु लगे हुए प्रदेश बिहार से पुलिस कार्यवाही से बचने के लिए नक्सली सरगुजा के जंगलों में आकर छिपने की खबरें मिलती थी। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के साथ–साथ झारखण्ड राज्य का निर्माण किया गया, जहां नक्सलियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने से सरगुजा जिले में नक्सलियों का प्रवेश बढ़ा और नक्सली गतिविधियां अत्यधिक बढ़ती चली गई। वर्ष 2000 से 2013 के मध्य जिला बलरामपुर–रामानुजगंज में अनेक नक्सली घटनाएं घटित हुई (विवरण संलग्न)। घटना दिनांक 05/07/11 एवं 06/07/11 की दरमियानी रात में भी नक्सलियों के द्वारा गंभीर घटना को अंजाम देने की मुखबिर सूचना के पश्चात् ही थाना चांदो के थाना प्रभारी निकोदीन खेस के द्वारा अन्य पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों के साथ मौके पर जाकर नक्सलियों की ओर से की जाने वाली फायरिंग का प्रति–उत्तर दिया।

73– तर्क में इस तथ्य पर अधिक बल दिया गया है कि मृतिका के माता–पिता की ओर से पुलिस साक्षियों के प्रतिपरीक्षण में ऐसे कोई तथ्य नहीं लाये गये हैं जिससे यह स्पष्ट हो कि साक्षियों का मृतिका के परिवार से रंजिशपूर्ण या तनावपूर्ण संबंध रहा हो। लिखित तर्क की कंडिका–16 में यह अभिकथित किया गया है कि प्रारम्भिक स्तर पर कु0 मीना खलखो के एम्बुश के स्थान पर पाये जाने की स्थिति में उसके नक्सली होने या नक्सलियों से संबंध होने की आशंका बनी थी किन्तु पश्चातवर्ती जांच एवं उसके माता–पिता एवं ग्रामवासियों की साक्ष्य से कु0 मीना खलखो के नक्सली होने या नक्सलियों से संबंध होने जैसे कोई तथ्य सामने नहीं आये हैं। शासन की ओर से मृतिका के पिता को दो लाख रूपये की सहायता राशि भी प्रदाय की गई है।

74— लिखित तर्क में यह भी अभिकथित किया गया है कि नक्सलियों फायरिंग के जवाब में पुलिस द्वारा आत्मरक्षा के लिए फायरिंग आवश्यक थी और इस दौरान आकस्मात् कु0 मीना खलखो मुठभेड़ के दौरान बीच में आकर आहत हुई और उसकी मृत्यु हुई है। उक्त परिस्थिति दुर्भाग्यजनक है, किन्तु साशय कु0 मीना खलखो की हत्या किये जाने संबंधी कोई तथ्य जांच के दौरान प्राप्त नहीं हुए हैं। शासकीय अधिवक्ता के द्वारा घटना को असामान्य परिस्थितियों में घटित घटना दर्शाते हुए पुलिस बल या प्रशासन को उक्त त्रुटि के लिए जिम्मेदारी न माना जावे, का अनुरोध किया गया है।

75— शासकीय अभिभाषक के द्वारा प्रस्तुत लिखित तर्क में भी यह स्पष्टतः मान्य किया गया है कि कु0 मीना खलखो नक्सली नहीं थी और न ही नक्सली गतिविधियों से संबंधित थी। पुलिस एवं नक्सलियों की मुठभेड़ के दौरान आकस्मात् कु0 मीना खलखो के आ जाने से गोली लगने से उसकी मृत्यु हुई।

76— उल्लेखनीय है कि पुलिस साक्षी क्रमांक—1 निकोदीन खेस का शपथ पत्र की कंडिका— 10 में यह कथन है कि चांदो से नवाडीह होकर करचा की ओर बढ़ने के दौरान 3.15 बजे रात में पुलिस पार्टी पर पूर्व दिशा से फायरिंग प्रारम्भ हुइ थी और तब पुलिस ने अपने बचाव में जवाबी फायरिंग की थी जिसमें पुलिस पार्टी के तीन लोगों के द्वारा मात्र फायरिंग की गई। उपरोक्त कथन यह स्पष्ट करता है कि फायरिंग रात्रि 3.15 बजे हुई, जबकि दो चिकित्सों के पैनल द्वारा मृत कु0 मीना खलखो के शव परीक्षण रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि शव परीक्षण समये (दिनांक 06/07/11 को दोपहर 3.45 बजे) से 10 से 14 घंटे पहले मीना खलखो की मृत्यु हो चुकी थी अर्थात मीना खलखो की मृत्यु 5 एवं 6 जुलाई 2011 की मध्य रात्रि में 1.45 से 5.45 बजे के मध्य हुई थी। अतः, चिकित्सक विशेषज्ञों के प्रतिवेदन की पृष्ठभूमि में इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि दिनांक

05 एवं 06 जुलाई, 2011 की दरमियानी रात में होने वाली फायरिंग के समय अर्थात 3.15 बजे से पहले कु0 मीना खलखो की बन्दूक की गोली से मृत्यु हो चुकी थी। अतः, उक्त परिस्थितियों में शासकीय अभिभाषक का यह तर्क कि फायरिंग के दौरान कु0 मीना खलखो के अचानक मौके पर आ जाने से आकस्मात् गोली लगी, स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

77— उक्त संबंध में उल्लेखनीय यह भी है कि अपराध क0 25/11 घटना के पश्चात दिनांक 06/07/2011 को थाना चांदो में स्वयं थाना प्रभारी निकोदीन खेस के द्वारा मौके पर अभिलिखित देहाती नॉलिस के आधार पर पंजीबद्ध किया गया है। पुलिस साक्षी निकोदीन के द्वारा अभिलिखित देहाती नालिस दिनांक 06/07/11 को 9.00 बजे प्रातः लिखी गई है, जिसमें इस तथ्य का उल्लेख है कि **"पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़ के पश्चात प्रातः उजाला होने पर घटनास्थल की सर्चिंग की गई थी तब एक लड़की 18 वर्ष की घायल अवस्था में नक्सली एम्बुश वाले स्थान पर मिली जो जिंदा थी, जिसने पूछने पर अपना नाम मीना पुत्री बुद्धेश्वर उरांव निवासी करचा, थाना चांदो की रहने वाली बतायी थी तथा अपने साथ नक्सली कमाण्डर वीरसाय अन्य राजेन्द्र सैरवार, मुन्नीलाल यादव व 30—35 नक्सलियों को शामिल होना बतायी।"**

78— देहाती नॉलिस के उपरोक्त कथन यह स्पष्ट करते हैं कि पुलिस साक्षी निकोदीन खेस की घायल मीना खालखो से बातचीत के दौरान उसके नक्सली होने की जानकारी उसे प्राप्त हुई थी जबकि साक्षी निकोदीन खेस ने जांच आयोग के समक्ष दिनांक 11/10/2013 को निष्पादित शपथ पत्र प्रस्तुत किया है, जिसकी कंडिका— 14 में इस तथ्य का कोई उल्लेख नहीं किया है कि घायल लड़की से पूछताछ पर उसने यह बताया हो कि वह नक्सली कमाण्डर वीरसाय अन्य राजेन्द्र सैरवार, मुन्नीलाल यादव व 30—35 नक्सलियों के साथ थी। तदानुसार

पुलिस पार्टी को लीड करने वाले थाना प्रभारी निकोदीन खेस के द्वारा कु0 मीना खलखो से बातचीत के दौरान प्राप्त होने वाली जानकारी के संबंध में घटना के तत्काल पश्चात दर्ज देहाती नॉलिस एवं आयोग के समक्ष प्रस्तुत शपथ पत्र में गंभीर विरोधाभासी पूर्ण कथन किये गये हैं। जांच के दौरान ऐसे कोई तथ्य प्रकट नहीं हुए है कि मृतिका कु0 मीना खलखो को आने वाली बन्दूक की चोटें पुलिस द्वारा इस्तेमाल की गई आग्नेय सशत्रों के अलावा अन्य किसी आग्नेय सशत्र से कारित नहीं हुई है। प्रकरण में विद्यमान सभी तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए कु0 मीना खलखो की मृत्यु के लिए पुलिस जिम्मेदार अवश्य है, किन्तु पुलिस मुठभेड़ की कहानी मान्य किये जाने योग्य नहीं है।

एकल सदस्य आयोग का क्षेत्राधिकार तथ्यों की जांच तक सीमित है। आयोग द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर निर्णित किया जाता है कि कु0 मीना खलखो की मृत्यु पुलिस मुठभेड़ के फलस्वरूप नहीं हुई है, किन्तु चूंकि पुलिस के आग्नेय शस्त्रों से मृत्यु हुई है। अतः उक्त परिस्थितियों में पुलिस द्वारा अनुसंधान किया जावे कि वास्तव में कौन–कौन से पुलिस कर्मी घटना के लिए जिम्मेदार हैं।

<u>बिन्दु कमाक– 6</u>

79– निःसंदेह छ0ग0 राज्य के कुछ क्षेत्र नक्सली गतिविधियों से गंभीर रूप से प्रभावित हैं। नक्सली गतिविधियों के नियंत्रण के लिए पुलिस एवं अन्य सुरक्षा एजेंसियों का तैनात किया जाना अनिवार्य है। नक्सली गतिविधियों पर रोक लगाने एवं उनकी गतिविधियों से जनसाधारण को सुरक्षा प्रदाय करने के लिए पुलिस का सक्रिय होना अत्यंत आवश्यक है। लगातार होने वाले परिवर्तन एवं असुरक्षा के भय से घटनाओं के संदर्भ में जनसाधारण की सहभागिता दिनोंदिन कम होती जा रही है इसलिए परिस्थितियों के सही निष्कर्ष के लिए तकनीकी प्रयोगों या साधनों का अधिक से अधिक उपयोग अत्यंत

आवश्यक हो गया है। घटनाओं के दौरान आधुनिक सश्त्रों का प्रयोग तेजी से बढ़ा है और इस हेतु तकनीकी परीक्षण घटनाओं को सत्यता तक पहुंचने के लिए अनिवार्य हो चुके हैं। उपरोक्त सभी परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित उपायों पर विचार किया जा सकता है:— 4—

1— नक्सल क्षेत्रों में पदस्थ पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को वर्दी में लगाये जाने युक्त सुक्ष्म कैमरे प्रदाय किये जाने चाहिए, जिसके द्वारा पुलिस मुठभेड़ एवं अन्य सामान्य कार्यवाहियों/गतिविधियों की विडियोग्राफी की जा सके। विडियोग्राफी की निरन्तर जानकारी पुलिस मुख्यालय एवं गृह मंत्रालय को प्रदाय की जानी चाहिए।

2— पुलिसिंग का कार्य नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में मात्र जमीनी कार्यवाहियों तक सीमित न रखा जाकर हवाई कार्यवाहियों के माध्यम से किया जाना चाहिए।

3— पुलिस कार्यवाहियों के संदर्भ में रोजनामचा सान्हा हस्तलिपि में लिखे जाने की प्रथा निरन्तर प्रचलनशील है, जिसमें पश्चातवर्ती सुधारों या कार्यवाही के पश्चात् रोजनामचा लिखे जाने या छेड़छाड़ किये जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। उक्त परिस्थितियों में रोजनामचा सान्हा लिखे जाने की प्रकिया कम्प्यूटरीकृत किया जाना आवश्यक है तथा उक्त आशय का साफ्टवेयर तैयार किया जाना लाभकारी होगा, जिसमें रोजनामचा सान्हा लिखते समय स्वयंमेव् (Automatic) लिखे जाने की तिथि और समय दर्शित हो तथा सान्हा पी0डी0एफ0फार्मेट में हो, ताकि लिखे जाने के पश्चात् छेड़खानी की न जा सके।

4— सामान्य तौर पर गंभीर घटना घटित होने की जानकारी थाना प्रभारी या संबंधित पुलिस कर्मी के द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को दिये जाने की प्रथा है जो समय के साथ लिखित में न दी जाकर दूरभाष पर दी जाती है, उचित होगा कि यह सूचना तत्काल ई–मेल के माध्यम से वरिष्ठ अधिकारियों को दी जावे, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि सूचना कितने बजे व किस तारीख को दी गई एवं संबंधित पुलिस कर्मचारी/अधिकारी मौके के लिए रवाना कब हुआ। प्रत्येक ऐसे ई–मेल की हार्ड प्रति डायरी में संलग्न होना चाहिए। ई–मेल से सूचना भेजे जाने वाली सूचना की तिथि व समय स्वयमेव् ई–मेल में दर्ज होता है, जबकि टेलीफोन से दी जाने वाली सूचना का कोई रिकार्ड डायरी में नहीं होता है। पुलिसिंग कार्यवाही की पारदर्शिता को बनाये रखने के लिए ई–मेल से सूचना भेजा जाना उपयोगी हो सकता है।

26/2/15

(श्रीमती अनिता झा)
एकल सदस्य,
कु0मीना खलखो, जांच आयोग